

18/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील कादी हाजिर। तलपाना/सम्मन प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं। परन्तु अदिनांके तक पालना नहीं की गई। आगामी घंटी पर आवश्यक रूप से तलपाना सम्मन प्रस्तुत करे अथवा प्रकरण याथावधि आदेश की अधिमानता में खारिज कर दिया जाएगा। मिसल प्रस्तुत होने तक तलपाना सम्मन दिनांक 29.11.19 को पेश हो।

29.11.19

पत्रावली पेश हुई। वकील कादी गैरहाजिर। तलपाना सम्मन प्रस्तुत करने हेतु समय देने के उपरान्त भी तलपाना हेतु सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दावा 09 R 5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नगरे से काम की जाकर दखिल नफर हो।

अखण्ड अधिकारी

सत्वाड (अजमेर)

